Journal of Advances and Scholarly Researches in Allied Education
Vol. 17, Issue No. 2, October-2020, ISSN 2230-7540

महिला अधिकार एवं मीडिया सहभागिता : एक अध्ययन

Dhwani Singh*

Researcher, Department of Journalism and Mass Communication, Veer Bahadur Singh Purvanchal University, Jaunpur, Uttar Pradesh

सारांश – *नारी एक ऐसा शब्द जो अपने आपमें सम्पूर्णता अर्थ समेटे हुए हैं। आधी आबादी का दर्जा लेकर देश की सामाजिक-आर्थिक – राजनैतिक धुरी को समेटे हुए नारी, अपनी ताकत और खास पहचान की बदौलत ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में भी सर्वमान्य शब्द के रूप में अधिकृत दर्जा प्राप्त कर चुकी है। हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर के रूप में भारत में 2018 में 'नारीशक्ति' शब्द को सबसे अधिक प्रचलित होने के कारण ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के शब्दकोश में शामिल किया गया। ये नारी शब्द की ताकत होने के साथ- साथ आजादी के इतने वर्षों के बाद भी महिलाओं की उस स्थिति की तरफ़ संकेत करता है जो पूर्व की महिला स्थिति से अलग हट कर महिलाओं के विकास की तरफ़ इशारा कर रहा है। किसी भी देश के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण जरूरत वहाँ की महिलाओं की स्थिति है। जिस देश की महिलाओं की स्थिति जितनी सशक्त होगी वो उतना विकास पथ पर बढ़ता जाएगा। कई ऐसी समस्याएं देश के विकास में बाधक है जिनका समाधान महिला सशक्तिकरण किए बिना असंभव है। अर्थव्यवस्था और राजनीति हो या शिक्षा और स्वास्थ्य की गुणवत्ता में सुधार की बात हो, महिलाओं की भूमिका के बगैर ये काम संभव नहीं है। लेकिन जहां लगभग अस्सी प्रतिशत महिलाएं ग्रामीण निरक्षर हैं, उनसे इन सभी भूमिकाओं को निभाने की उम्मीद तभी की जा सकेगी जब उन्हें अपनी इन क्षमताओं एवं अहमियत का पता हो। मीडिया द्वारा अनेक जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। जिनके द्वारा महिलाओं को उनके अधिकारों व संविधानों में उल्लेखित जानकारीयो के बारे में सूचित किया जा रहा है। भले ही संविधान ने महिलाओं को उनके विकास के लिए अधिकार दे दिए हो। परन्तु आज भी महिलाओं को अपने अधिकारों के लिए सही कानून की जानकारी के लिए जागरूक होने की आवश्यकता है।*

इसमे सबसे अहम भूमिका निभाई हैं। 'मीडिया" ने, संविधान ने महिलाओं को सभी तरह के अधिकार दे दिए, इन अधिकारों को लागू करने के लिए कानून भी बना दिए लेकिन इनका लाभ तो तब होगा जब महिलाओं को इनकी जानकारी होगी और यहां पर महत्वपूर्ण हो जाती है मीडिया की भूमिका। मीडिया की भूमिका के बगैर ये काम मुश्किल ही नहीं बल्कि असंभव है। जनसंचार के विभिन्न माध्यम महिलाओं में जागरूकता लाकर, उन्हें अपने अधिकारों एवं भूमिकाओं के बारे में सजग बनाकर उनका सशक्तिकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं लेकिन महिलाओं की वर्तमान स्थिति को देखते हुए कहा जा सकता है कि अभी इस मुद्दे पर काफी कुछ किया जाना बाकी है।

प्रमुख शब्द (कीवर्ड):- जन माध्यम, महिला अधिकार, मीडिया सहभागिता, महिला आयोग ।

----------X----------

प्रस्तावना

हमारे समाज में महिलाएं शिक्षित होने के बावजूद भी अपने कानूनी अधिकारों से अनभिज्ञ हैं, सभी शिक्षित या अशिक्षित महिलाएं नहीं पर हाँ भारतीय समाज का एक बड़ा वर्ग आज भी अपने कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं है। महिला अधिकारों के प्रति सजग होने के लिए सबसे अहम यह है जानना की अब तक सरकार द्वारा क्या क्या कदम उठाए गए हैं। साल 2018 में केंद्र सरकार के कुछ अहम कदमों से नारी शक्ति शब्द ने सबसे ज्यादा ध्यान आकर्षित किया। इस कारण इस वर्ड को शब्दकोश में शामिल करने की जानकारी दी गई। जानकारी के अनुसार कुछ खास मुद्दों के कारण भी इस शब्द को खास तरज़ीह दी गई। महिला की स्थिति और उसकी महत्वता को सही तरीके से समाज मे प्रस्थापित करने के सबसे जरूरी है। प्रजनन कार्य में बच्चों का प्रजनन, पालन - पोषण सहित उत्पादक कार्य, घरेलू उत्पादन, सामुदायिक प्रबंधन, जल प्रबंधन, स्वास्थ्य तथा शिक्षा। इत्यादि परिस्थितियों पर गहनता से आकलन करना।

महिलायें अपने अधिकारों से अवगत नहीं होती है, अपराधों की बढ़ती संख्या के खिलाफ लड़ने के लिए यह जरुरी है कि महिलायें अपने कानूनी अधिकारों के बारे में जानती हो। भारतीय संविधान महिलाओं को कई अधिकार प्रदान करता है।

उद्देश्य:-

- महिला अधिकार के प्रति मीडिया सहभागिता का अध्ययन करना।
- महिलाओं के सर्वांगीण विकास में जन माध्यमों के योगदान को जानना।

शोध प्रविधि:-

प्रस्तुत शोध गुणात्मक शोध है विश्लेषण अंतर्वस्तु जिसमें, और अध्ययन विधि का प्रयोग किया गया है। महिला अधिकार के प्रति विभिन्न जन माध्यमों के कंटेंट के विषय वस्तु एवं प्रस्तुति पर अध्ययन एवं विश्लेषण किया गया है।

पिछले कुछ वर्षो में महिला से जुड़े खास मुद्दों पर एक नज़र-

साल 2018 में 12 साल से कम उम्र की बच्ची से दुष्कर्म के दोषी को फांसी का प्रावधान नारी सुरक्षा की दिशा में बड़ा फैसला रहा। अबला नहीं सबला के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा बीते सालों में महिला अधिकारों से जुड़े कानूनों को सशक्त कर नए कानून लागू करने की दिशा में काम करना भी इसकी एक खास वज़ह है। महिला अधिकारों में सबसे ज्यादा सजगता तब आयी जब सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिपल तलाक पर अति महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। केरल के सबरीमाला मंदिर में महिलाओं की एंट्री भी देश में चर्चा में रही। इस मुद्दे के कारण भी नारी शक्ति को लेकर लोगों की अपनी- अपनी राय है। मीटू कैंपेन के जरिए भी महिलाओं के अधिकारों और उनको सबला बनाने की दिशा में काफी मंथन लगातार जारी है। साल 2018 में इंटरनेशनल वीमेंस डे पर भारत में नारी शक्ति पुरस्कार की घोषणा हुई। साथ ही पूरे देश ने वीमेंस पॉवर पर मुखर होकर अपनी राय रखी। परेड में पहली बार पुरुषों की अगुवाई करती नजर आई महिला सैनिक से लेकर मणिकर्णिका के जरिए वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई से जुड़ा इतिहास भी एक बार फिर चर्चा में आया।

वर्तमान में महिलाओं की स्थिति-

जन्म से लेकर शिक्षा हासिल करने की बात हो या फिर कैरियर बनाकर शादी करने और बच्चा पैदा करने जैसे सवाल हो, आज भी महिलाओं को रूढ़िवादी सोच और पूर्वाग्रह से ग्रसित सोच वाले लोगों से कदम कदम पर जूझना पडता है। हमें इन बातों को समझना पडेगा कि कोई परिवार, समाज या देश महिलाओं को शिक्षित, स्वस्थ एवं वित्तीय रूप से सशक्त बनाए बगैर देश के विकास करने की सिर्फ कोरी कल्पना ही कर सकता है। हम प्रगति तब तक नहीं कर सकते जब तक राजनीति से लेकर अर्थव्यवस्था और स्वास्थ्य से लेकर शिक्षा के क्षेत्र में महिलाओं को सशक्त नहीं बना देते। शासन और नीतियों के स्तर पर कई बार प्रगति के तत्व देखने को मिल जाने के बावजूद हकीकत तो यह है कि महिलाएं आज भी व्यवहारिकता में हर तरह की समस्याओं से जूझ रही हैं। संसद में आज महिलाओं का प्रतिनिधित्व लगभग ग्यारह प्रतिशत है। माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा तक केवल साढे छब्बीस प्रतिशत महिलाओं की पहुंच है और दुनिया भर में कुपोषण से मरने वाले बच्चों की तादाद भारत में ही सबसे ज्यादा है, जिसमें अधिकतर संख्या बच्चियों की है।

महिला अधिकारों में जन माध्यमों की भूमिका-

जनसंचार के विभिन्न माध्यमों में लगातार महिलाओं से संबंधित कार्यक्रमों के प्रसारण हो रहे हैं। प्रिंट मीडिया से लेकर रेडियो और दूरदर्शन इस विषय पर काम करता रहा है, प्राइवेट चैनलों ने भी महिलाओं से संबंधित कार्यक्रमों का प्रसारण आरंभ किया और इस दिशा में काफी बदलाव हुए भी हैं। लेकिन इनसब के बावजूद आखिर क्या वजह है कि इस क्षेत्र में अबतक कोई सार्थक सफलता नहीं मिली। यहां यह विश्लेषण करना अनिवार्य हो जाता है कि आखिर विभिन्न जनसंचार माध्यमों में महिलाओं को किस तरह प्रस्तुत किया जा रहा है और उनसे संबंधित कार्यक्रमों के विषय वस्तु किस तरह के हैं। समकालीन संदर्भ में जनसंचार के विभिन्न माध्यमों में विज्ञापनों ने महिलाओं को उपभोग की वस्तु के रूप में लगातार प्रस्तुत कर नकारात्मकता पैदा करने का काम किया है। विज्ञापनों को देखे तो उपभोक्ताओं को आकर्षित करने के लिए महिलाओं के शरीर का उपयोग किया जा रहा है। यदि समाचार पत्रों से लेकर विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के विज्ञापनों पर नजर डालें तो ऐसे विज्ञापन गिने चुने ही मिलते हैं जहां उसे उपभोग की वस्तु और बहुत ही पारंपरिक रूप में प्रस्तुत नहीं किया जाता है। विज्ञापन कंपनियां महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए विज्ञापन नहीं बनाती बल्कि उनका उद्देश्य अपने सामानों की बिक्री बढ़ाना होता है और विभिन्न जन माध्यमों को चलाने का काफी खर्च इन विज्ञापनों के माध्यम से आता है, इसलिए बगैर किसी रोक टोक के यह व्यवसाय फल फूल रहा है। देखा जाय तो महिला विकास और सशक्तिकरण के प्रयासों पर विभिन्न

जन माध्यमों के इन विज्ञापनों का बहुत ही नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। आज हम अपने समाज को महिलाओं के प्रति संवेदनशील बनाने की चाहे जितनी भी बातें कर लें लेकिन सच्चाई तो यह है कि एक बच्चा से लेकर वयस्क तक इन विज्ञापनों के माध्यम से जाने अनजाने महिलाओं को उपभोग की वस्तु के रूप में ही देखने लगता है। इतना ही नहीं, कहीं न कहीं ये विज्ञापन दर्शकों के मस्तिष्क पर ऐसा गहरा असर डालते हैं कि एक लड़की भी जाने अनजाने अपने आपको उसी रूप में देखना शुरू कर देती है और ये उसके दिमाग में इतना गहरा बैठ जाता है कि फिर उन्हें इनमें कुछ गलत भी नहीं लगता है और वे अपने आपको उसी रूप में आसानी से स्वीकार भी लेती है। यदि समाचार पत्रों की बात करें तो लगभग सभी अंग्रेजी समाचार पत्रों से लेकर हिंदी समाचार पत्रों तक का पाठक वर्ग मुख्यतया शिक्षित पुरूष वर्ग होता है। इन पत्रों का मुख्य उद्देश्य समाचारों को लोगों तक पहुंचाना होता है। हांलाकि ये बहुत आसानी से महिला सशक्तिकरण जैसे सामाजिक परिवर्तन करने में अपनी भूमिका निभा सकते हैं लेकिन ज्यादातर पत्र यथा स्थिति बनाए रखने का काम कर रहे हैं। दुखद यह है कि इन पत्रों के तीसरे पन्नों में महिलाओं से संबंधित हिंसक और पैशाचिक घटनाएं खबर जरूर बन जाती है लेकिन तुलना की जाए तो उनके उत्थान और विकास की खबरों को कम तवज्जो दी जाती है। हिमालय पर चढ़ने और किसी प्रतियोगिता में जीत हासिल करने जैसे समाचारों को पत्रों में जगह देते है लेकिन इन पर विशेष कवरेज बहुत कम ही समाचार पत्र या चैनल करते हैं ताकि लोगों को यह पता चल पाए कि उस सफलता के पीछे की कहानी क्या है। महिला विशेष मैगजीन की बात की जाय तो वहां भी वैसे लेखों और खबरों की संख्या ज्यादा है जो महिलाओं को अपने शारीरिक सौंदर्य, घरेलू कामों एवं पारंपरिक भूमिका में ज्यादा प्रस्तुत करता है। जबकि महिलाओं की आंकड़ेवार स्थिति को देखा जाय तो महिला सशक्तिकरण पर एक आंदोलन की आवश्यकता है। अधिकतर महिलाएं तो इन बातों से वाकिफ भी नहीं है कि उनकी स्थिति कितनी दयनीय है। अश्लील साहित्य तो महिलाओं की बिलकुल घिनौनी तस्वीर प्रस्तुत करने में लगा है जिस पर कोई रोक टोक नहीं है और वह भी धड़ल्ले से पाठकों के लिए उपलब्ध है। दूसरी तरफ, समाचार पत्रों एवं मैगजीन के साथ एक समस्या यह भी है कि महिलाओं तक इसकी सीधी पहुंच काफी सीमित हैं क्योंकि भारत जैसे देश में निरक्षर महिलाओं की संख्या ज्यादा है। आज की तारीख में शहरों के साथ गांवों में भी रेडियो एवं टेलीविजन की जितनी व्यापक पहुंच हो गई है, इनका इस्तेमाल महिलाओं के विकास के लिए बहुत आसानी से किया जा सकता है। हांलाकि रेडियो और दूरदर्शन काफी समय से लोगों को महिलाओं से संबंधित विषयों पर कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है लेकिन वाकई इन कार्यक्रमों को उन पर क्या प्रभाव है और कहां चूक हो रही है, कितने लोगों को इनका फायदा पहुंच रहा है, इनसब के विश्लेषण के बाद उनमें परिवर्तन की आवश्यकता है। इसके लिए व्यापक स्तर पर रिसर्च एवं फीडबैक की जरूरत है।

गांवों तक डीटीएच सुविधा को देखते हुए उन्हें सशक्त करने के लिए कार्यक्रमों को महिलाओं तक आसानी से पहुंचाया जा सकता है। 24 घंटे चल रहे मनोरंजन चैनेलों पर महिलाओं को सिर्फ पारंपरिक रूप में न दिखाकर उनकी सशक्त छवि प्रस्तुत करना अनिवार्य है। उनके लिए विभिन्न प्रकार के शिक्षण एवं कला कौशल विकसित करने वाले कार्यक्रमों के प्रसारण के साथ स्वरोजगार संबंधित जानकारियां उपलब्ध कराने की जरूरत है। सफल महिलाओं के संघर्ष की कहानियों को वृत्तचित्र के रूप में दिखाने का काफी प्रेरणादायक असर हो सकता है। महिलाओं में सारी क्षमताएं है, जनमाध्यमों को जरूरत है उसे प्रेरित करके बाहर निकालने की। महिलाओं को सशक्त करने के लिए उन्हें सिर्फ साक्षर नहीं बल्कि शिक्षित करना होगा। यदि एक महिला शिक्षित होती है तो कई लोगों को शिक्षित करने की ताकत पैदा होती है। वह अपना, अपने परिवार और अपने समाज में प्रेरणा स्त्रोत बन जाती है। इसके लिए टेलीविजन पर नियमित रूप से कुछ कार्यक्रमों को प्रसारित किए जाने की जरूरत है। इन माध्यमों से एक बार उन्हें रास्ता दिखा जाए तो आज इतने संसाधन मौजूद हैं कि वो अपने आपको काफी आगे तक ले जाने में सक्षम होंगी।

निष्कर्ष

महिलाओं को समाज में सशक्त करने के लिए मीडिया के पारम्परिक माध्यमों जैसे नुक्कड़ नाटक आदि का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि आज भी अधिकतर ग्रामीण निरक्षर महिलाओं तक पहुंचने की चुनौती है जहां हमें पारंपरिक जनमाध्यमों का इस्तेमाल करना ही होगा। पारंपरिक माध्यमों की खासियत यह है कि इससे लोग अपने आपको जुड़ा हुआ पाते हैं और अपना प्रतिबिंब उसमें देख पाते हैं। महिलाओं के लिए इसतरह के कार्यक्रमों को प्रसारित करना होगा जिनमें वे मानसिक रूप से काफी सशक्त हैं और यह आत्मविश्वास लाना होगा कि कुछ भी काम ऐसा नहीं है जो वे नहीं कर सकती है। महिलाओं के सशक्त होने की एक अनिवार्य शर्त है कि लिंग भेद समाप्त हो। हर व्यक्ति यह समझे कि लड़के और लड़कियां दोनों बराबर है। सबको यह बताने की जरूरत है कि जो औरत पूरी सृष्टि की रचयिता है वह कमजोर नहीं हो सकती है। जरूरत है सोच में बदलाव की। महिलाओं को सशक्त करने के लिए यह अनिवार्य है कि जन माध्यम उन्हें

वित्तीय रूप से सशक्त बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के व्यवसाय कौशलों को सीखने, ऋण लेने आदि के बारे में जानकारियां उपलब्ध कराए। इस क्षेत्र में सफल महिलाओं के अनुभवों को साक्षात्कार एवं वृत्तिचत्रों के माध्यम से दिखाकर दूसरी और महिलाओं को प्रेरित करे। स्वयं सहायता ग्रुप आदि के गठन के बारे में उन्हें विस्तार से जानकारी देकर लाभ पहुंचाया जा सकता है जिसका आरंभिक उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक मदद देना, लघु बचत को बढावा देना और महिलाओं में रोजगार को बढ़ावा देकर आर्थिक रूप से सशक्त करना है। जन माध्यमों के द्वारा महिलाओं में इस सोच को पुख्ता करना होगा कि यदि वे मनोभावनाओं की संकीर्णता से स्वयं को उपर उठाकर अपने आपको उत्पादक एवं व्यापक बना लें तो समाज की मुख्यधारा में शामिल होने से उन्हें कोई नहीं रोक सकता। लेकिन जनमाध्यमों की जिम्मेदार भूमिका के बगैर इस सपने को सच करना नामुमकिन है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

शर्मा, प्रज्ञा. (2011). भारतीय समाज में नारी, पॉइंटर पब्लिशर्स, दिल्ली

चोपड़ा, पी.एन.पुरी, बी .एन. दास एम.एन. (2005). भारत का सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक इतिहास, मेकमिलन इंडिया लि. दिल्ली

अंसारी, एम. ए. (2010). महिला व मानवाधिकार, ज्योति प्रकाशन, जयपुर

कैथवास, सावित्री. (2009). अनुसूचित जाति एवं जनजाति की महिलाओं के राजनैतिक सशक्तीकरण की प्रक्रिया में आ रही बाधांए: नए पंचायती राज के विशेष सन्दर्भ में ग्रामीण विकास जनवरी-जून.

शर्मा, प्रज्ञा (2011). महिला विकास और सशक्तीकरण, आविष्कार पब्लिशर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स, जयपुर

www.amarujala.com

www.patrika.com

www.bhaskar.com

www.livehindustan.com

www.youthkiawaj.com

www.epw.injournal.com

www.wisdomblow.com

Corresponding Author

Dhwani Singh*

Researcher, Department of Journalism and Mass Communication, Veer Bahadur Singh Purvanchal University, Jaunpur, Uttar Pradesh